भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/21/2021/एफ0 सी0/631 दिनांकः 31/08/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/DISP/114282/2020)

सन्दर्भः–कार्यालय – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 446/FP/UK/ DISP/114282/2020 दिनांक 13-08-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26/02/2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन करने के उपरान्त निम्नलिखित कमियां संज्ञान में आयी है, जिनका निवारण राज्य सरकार से अपेक्षित हैः–

1. विषयांकित 'Medical College' से सम्बन्धित पूर्व में Regional Empowered committee की बैठक दिनांक 12.08.2019 में चर्चा कर तीन पृथक–पृथक प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था । राज्य सरकार से अनुरोध है कि उन प्रस्तावों की compliance report/ वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत करें।

2. राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि यदि यह नया प्रस्ताव है तो इसे 'Upgradation of existing Swami Ram Cancer Hospital' के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रस्तावित भूमि पर कोई hospital विद्यमान नहीं है।

3. प्रस्ताव में 2.5 है0 क्षेत्र में 'Radiotherapy Bunker' प्रस्तावित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह भूमिगत संरचना होगी। अतः राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि इसके लिये वृक्षों के पातन की आवश्यकता क्यों है?

4. प्रस्तुत layout स्पष्ट नहीं है। साथ ही 'Future Construction' हेतु प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ई0डी0एस0 दिनांक 26.02.2021 के बिन्दु सं0 10 के अनुसार प्रस्तावित दोनों 'patches' के लिये पृथक–पृथक components wise breakup एवं layout पर उनकी स्थिति स्पष्ट करें।

5. पातन होने वाले वृक्षों की संख्या 347 है जिसे न्यूनतम करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

31/08/21

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)